भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2798
दिनांक 05.08.2026 को उत्तर देने के लिए

पुराने अपशिष्ट का निपटान

2798. श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री दिनेशभाई मकवाणाः
डॉ. संजय जायसवालः
श्री पी. पी. चौधरीः
श्री खगेन मुर्मुः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विशेषकर राजस्थान में खनन कार्यों से उत्पन्न होने वाले पुराने अपशिष्ट के वाणिज्यिक निपटान के संबंध में सरकार की नीति की स्थिति क्या है;
(ख) घरेलू खनिज उत्पादन को बढ़ावा देने और खानों की संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने पर इस नीति का अनुमानित प्रभाव क्या है;
(ग) खनिज अपशिष्ट की पारदर्शी बिक्री को सुकर बनाने के लिए कौन-कौन से विशिष्ट विनियामक नवाचार और प्रक्रियाएं स्थापित की गई हैं; और
(घ) संबंधित राज्य सरकारों, विशेषकर राजस्थान राज्य के गैर-कर राजस्व में पुराने अपशिष्ट की बिक्री से होने वाले संभावित योगदान का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री
(श्री सतीश चंद्र दुबे)

(क) और (ख): खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 [एमएमडीआर अधिनियम, 1957] को एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2025 के माध्यम से दिनांक 01.09.2025 से संशोधित किया गया है। उक्त संशोधन अधिनियम के माध्यम से, पट्टेदारों को एमएमडीआर अधिनियम की छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त राशि का भुगतान करने पर

कैप्टिव पट्टों में रखे गए लीगेसी डंप को बेचने की अनुमति दी गई है। यह संशोधन राजस्थान सहित देश की खानों पर लागू है। इस सुधार से खनिज उत्पादन में वृद्धि और बाजार में खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, खनिज संसाधनों का इष्टतम खनन सुनिश्चित किया जाएगा, पर्यावरण संबंधी खतरों को कम किया जाएगा, खान कार्यों में सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और राज्यों को अतिरिक्त राजस्व प्रदान किया जाएगा।

(ग): कैप्टिव खानों से लीगेसी डंप सहित खनिजों की बिक्री के लिए आवश्यक प्रावधान खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिज के अलावा) रियायत नियम, 2016 के नियम 12ख में प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, उक्त नियमों के नियम 12(1)(ट) में सीमा मूल्य से नीचे के ओवरबर्डन या अपशिष्ट चट्टान या खनिज के निपटान के तरीके के लिए प्रावधान है।

(घ): रॉयल्टी और छठी अनुसूची प्रभारों के भुगतान सहित खनन कार्यों से प्राप्त राजस्व संबंधित राज्य सरकारों को प्राप्त होता है और उनकी वास्तविक मात्रा वास्तविक खनन कार्यकलापों पर आधारित होती है।
